

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय उद्घोषित: 29 मई 2014

सिविल वाद (मूल पक्ष) सं. 225/2009

श्री दिनेश चड्ढा

....वादी

के द्वारा: सुश्री नंदिनी साहनी, अधिवक्ता
बनाम

मैसर्स होटल क्वीन रोड प्राइवेट लिमिटेड

....प्रतिवादी

के द्वारा: प्रतिवादी-1 एवं प्रतिवादी-3 हेतु श्री
मोहित चौधरी, श्री इमरान और सुश्री
दामिनी चावला, अधिवक्तागण
प्रतिवादी-2 हेतु श्री नितेश जैन और
श्री सुगम सेठ, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत नाथ

न्या. जयंत नाथ

1. वर्तमान वाद वादी द्वारा घोषणा और हर्जाने की राहत की मांग करते हुए दायर किया गया है। शिकायत के अनुसार वादी को प्रतिवादी सं. 1 ने अपने होटल, अर्थात् होटल रमाडा प्लाजा में दिनांक 10.10.2007 के अनुबंध

पत्र के अनुसार महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त किया था। प्रतिवादी सं. 2 को प्रतिवादी सं. 1 का निदेशक बताया गया है। प्रतिवादी सं. 3 प्रतिवादी सं. 2 का छोटा भाई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दिनांक 14.01.2009 से प्रतिवादी सं. 1 का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है।

2. यह आरोप लगाया गया है कि वादी आधिकारिक तौर पर दिनांक 15.11.2007 को महाप्रबंधक के पद पर होटल में शामिल हुआ और दिनांक 02.01.2009 तक काम करता रहा।

3. वादपत्र के अनुसार वादी को पहले छह महीनों के लिए 18 लाख रुपये प्रति वर्ष और उसके बाद 24 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से वेतन प्राप्त करने का अधिकार था। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वादी को पहले छह महीनों के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1.50 लाख रुपये की मासिक राशि और उसके बाद प्रोत्साहन के रूप में 2 लाख रुपये प्रति माह नकद भुगतान किया जाना था।

4. यह भी कहा गया है कि वादी दिनांक 26.12.2008 से दिनांक 01.01.2009 तक छुट्टी पर रहा। दिनांक 02.01.2009 को जब वादी ने अपना काम फिर से शुरू किया, तो प्रतिवादी सं. 2 ने वादी को बुलाया और मौखिक रूप से महाप्रबंधक के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। यह भी कहा गया है कि कोई कारण नहीं बताया गया और वादी को अचानक कार्यालय छोड़ने के लिए कहा गया। वादी कार्यालय में पड़े अपने मूल कागजात भी नहीं ले जा

सका जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज, बिल आदि शामिल थे। वादी ने लैपटॉप वापस कर दिया और वादी को दी गई कंपनी की कार भी जबरन छीन ली गई।

5. वादी का तर्क है कि विभिन्न बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन का एक हिस्सा भुगतान नहीं किया गया है। नकद प्रोत्साहन राशि का भुगतान बहुत कम और प्रतिवादी सं. 2 की मर्जी के अनुसार किया गया है और इसका पूरा भुगतान नहीं किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि यद्यपि वादी को सहमति के अनुसार कार प्रदान की गई थी, उसे ड्राइवर प्रदान नहीं किया गया और यहां तक कि ईंधन भी एक महीने में 200 लीटर की अधिकतम सीमा के अधीन प्रदान किया गया था, जबकि वादी को एक महीने में 200 लीटर से अधिक पेट्रोल का खर्च उठाना पड़ा। आगे यह भी कहा गया है कि वादी चिकित्सा बिल और चिकित्सा बीमा का हकदार था जिसका भुगतान नहीं किया गया है। भविष्य निधि के वैधानिक लाभों में भी कटौती नहीं की गई है। वादी के कथित बकाया का विवरण शिकायत के साथ अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है (प्र..अभि.सा. 1/9)। यह इस प्रकार है:-

अनुसूची-1

श्री दिनेश चड्ढा, महाप्रबंधक, होटल रामदा प्लाजा के लंबित बकायों का विवरण।

15 मई 2008 से 3,27,419/- तक वेतन बकाया

30 नवंबर 2008

नवम्बर, 2008 तक नकद प्रोत्साहन बकाया 6,89,919/-
 दिसंबर 2008 के लिए वेतन 2,00,000/-
 दिसंबर 2008 के लिए नकद प्रोत्साहन 2,00,000/-
 1 जनवरी 2009 से 2 जनवरी 2009 तक वेतन 12,903/-
 1 जनवरी, 2009 से 2 जनवरी 2009 तक नकद प्रोत्साहन
 12,903/-

कुल योग 14,43,144/-

कंपनी कार डीएल 4सी एई 9035 5,654

रखरखाव खर्च

पेट्रोल का खर्च 60,000/-

अवैतनिक चालक का वेतन @ रु 5500/- 66,000/-

प्रतिमाह दिनांक 1.1.2008 से दिनांक 31.12.2008
 तक

कुल योग 1,31,654/-

भविष्य निधि 1,47,392/-

पीएफ पर लगभग ब्याज 13,454/-

कुल योग 1,60,846/-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति 11,220/-

चिकित्सा बीमा 20,412/-

कुल योग 31,632/-

24 दिनों की अनटिलाइज्ड अर्जित छुट्टी 1,60,000/-

(विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टी)

नोटिस अवधि वेतन (3 महीने) 6,00,000/-

प्रतिवादीगण द्वारा वादी को देय कुल राशि

25,27,276/-

6. उपर्युक्त कथन के आधार पर, वादी यह घोषित करने की डिक्री चाहता है कि उसकी सेवाओं की समाप्ति अवैध, मनमाना है तथा रोजगार की शर्तों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, तथा यह भी घोषित करने की डिक्री चाहता है कि वादी प्रतिवादीगण की सेवा में माना जाएगा तथा पूर्ण बकाया वेतन और अन्य बकाया राशि के साथ उसकी बहाली के परिणामी आदेश और प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने की क्षतिपूर्ति की डिक्री चाहता है।

7. प्रतिवादी सं. 1 और 3 ने लिखित बयान दाखिल कर दावा किया कि प्रासंगिक समय पर प्रतिवादी सं. 1 के साथ काम करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि वादी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा था और उसका रवैया बहुत ही गैर-पेशेवर था। आगे यह भी कहा गया कि वादी को दिनांक 01.10.2008 को तीन महीने की समाप्ति का मौखिक नोटिस दिया गया था। यह भी कहा गया कि वादी के अनुचित, गैर-पेशेवर और लापरवाह आचरण के कारण, जिससे होटल कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, वादी का दिसंबर 2008 का वेतन जब्त कर लिया गया है। वादी के नकद प्रोत्साहन के दावे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि प्रतिवादी सं. 1 और 3 ऐसे किसी कथित समझौते में शामिल नहीं थे, क्योंकि पहले होटल प्रतिवादी सं. 2 के नियंत्रण में था। आगे यह भी कहा गया कि अगर ऐसा कोई समझौता हुआ भी था, तो वह अवैध और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है और उसे कानून

की न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। बकाया राशि का भुगतान न करने के वादी के अन्य दावों को अस्वीकार कर दिया गया है।

8. प्रतिवादी सं. 2 ने एक अलग लिखित बयान दायर किया है, जो प्रतिवादी सं. 1 और 3 के समान ही है। प्रतिवादी सं. 2 ने आगे कहा है कि वादी अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग के लिए होटल सेवाओं का दुरुपयोग कर रहा था, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने निजी कपड़ों की ड्राईक्लीनिंग करवाता था, बिलों का भुगतान किए बिना अपने परिवार और दोस्तों को कॉफी शॉप में आमंत्रित करता था, आदि।

9. दिनांक 29.05.2009 को अंतर आ सं. 6260/2009 में इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि दिसंबर 2008 के महीने के लिए वादी के वेतन की जब्ती को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और वेतन के रूप में 2 लाख रुपये का वेतन जारी करने का निर्देश दिया गया है। दिसंबर 2008 माह के लिए जारी किया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ प्रतिवादीगण द्वारा दायर अपील को खंड न्यायपीठ ने खारिज कर दिया था। उक्त भुगतान प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा न्यायालय में किया गया था जैसा कि दिनांक 03.08.2009 के आदेश में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 24.09.2009 को अंतर आ सं. 9918/2009 में इस न्यायालय ने कहा कि वादी को दिनांक 30.04.2008 के बाद 1.50 रुपये प्रति माह की दर से वेतन का भुगतान किया गया है। तदनुसार, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि दिनांक 15.05.2008 से दिनांक 30.11.2008 तक की अवधि के लिए 3,27,419/- रुपए के वेतन के बकाए के

साथ-साथ दिनांक 01.01.2009 से दिनांक 02.01.2009 तक के एक दिन के वेतन के रूप में 12,903/- रुपए का भुगतान वादी को किया जाए। नोटिस अवधि के बदले में तीन महीने के वेतन, भविष्य निधि आदि के अन्य दावों को वाद के समापन तक प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

10. दिनांक 08.09.2009 को तैयार किए गए मुद्दे इस प्रकार हैं:

- i) क्या यह वाद अनुरक्षणीय नहीं है जैसा कि प्रतिवादीगण ने दावा किया है? ओपीडी
- ii) क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी की सेवाओं की समाप्ति अवैध थी और यदि हाँ, तो इसका क्या प्रभाव हुआ? ओपीडी
- iii) क्या वादी हर्जाने का हकदार है और यदि हां, तो कितनी राशि का? ओपीपी
- iv) क्या वादी प्रार्थना के अनुसार घोषणा और दावे के अनुसार पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली की परिणामी राहत का हकदार है? ओपीपी
- v) राहतें।”

11. वादी ने तीन गवाहों की गवाही दी, जिनमें वादी खुद अभि.सा.1 के रूप में, श्री के.के. मित्तल, सहायक स्थानीय अधिकारी, खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग अभि.सा. 2 के रूप में और श्री सुनील कुमार चड्ढा, वादी के भाई अभि.सा. 3 के रूप में शामिल हैं। वादी ने 21 दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं, यानी अभि.सा. 1/2 से अभि.सा. 1/22 (अभि.सा. 1/1 ही वादपत्र है)। इनमें से सात दस्तावेजों संभवतः दस्तावेजों के प्रवेश/अस्वीकृति के दौरान, प्र. अभि.-1 से प्र.

अभि.-5 और प्र. अभि.-7 से प्र. अभि.-8 के रूप में को भी दो बार प्रदर्शित किया गया है।

12. प्रतिवादीगण ने तीन गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए, अर्थात् श्री मंदीप गंभीर ब.सा.1, श्री दिनेश गुप्ता ब.सा. 2 तथा श्री अशोक मित्तल ब.सा. 3। हालांकि, लागत का भुगतान न किए जाने के कारण, प्रतिवादी सं. 1 तथा 3 की ओर से आगे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार दिनांक 16.01.2012 के आदेश द्वारा बंद कर दिया गया। उक्त प्रतिवादीगण के गवाहों से कभी जिरह नहीं की गई। इसी प्रकार, दिनांक 24.04.2012 के आदेश के अनुसार प्रतिवादी सं. 2 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार भी बंद कर दिया गया।

13. वादी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रभावशाली तरीके से तर्क दिया है कि नियुक्ति पत्र में निर्धारित तीन महीने का नोटिस दिए बिना वादी की सेवाओं को गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि समाप्ति अवैध और गलत है, इसलिए यह अमान्य है और इसलिए वादी को पूर्ण वेतन के साथ बहाल करने का अधिकार है।

14. यह तर्क दिया गया है कि जहां तक वादी द्वारा दावा किए गए नकद प्रोत्साहन का सवाल है, वादी ने इसे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। पीडब्लू 1 के शपथपत्र के माध्यम से साक्ष्य में उक्त गवाह ने साबित कर दिया है कि वह नकद प्रोत्साहन का हकदार था। यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में उक्त गवाह से कोई प्रति परीक्षा नहीं की गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि

पीडब्लू 3 ने यह भी साबित कर दिया है कि उसका भाई, यानी वादी नकद प्रोत्साहन प्राप्त करता था। हर्जाने के बारे में यह तर्क दिया गया है कि गलत तरीके से बर्खास्तगी के कारण वादी को हर्जाना भुगतना पड़ा।

15. प्रतिवादी सं. 1 और 3 तथा 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने अपने अलग-अलग लिखित बयानों में उठाए गए तर्कों को दोहराया है। उन्होंने दोहराया है कि वादी का नकद प्रोत्साहन का दावा, भले ही ऐसा कोई समझौता हुआ हो, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होने के कारण अमान्य है और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत आता है। यह भी आग्रह किया गया है कि कथित रूप से अनुबंध की समाप्ति के लिए कोई हर्जाना नहीं दिया जा सकता है।

16. प्रतिवादी सं. 1 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया है कि वादी को रोजगार प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दिया गया था और वादी को भुगतान करने का दायित्व, यदि कोई है, तो प्रतिवादी सं. 2 का है।

17. मैं सबसे पहले मुद्दा सं. 1 पर चर्चा करूंगा जो इस प्रकार है:-

"(i) क्या यह मुकदमा अनुरक्षणीय नहीं है जैसा कि प्रतिवादीगण ने दावा किया है? ओपीडी"

18. इस संबंध में एकमात्र आधार यह है कि चूंकि वादी नकद घटक का दावा कर रहा है, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत आता है, इसलिए संपूर्ण अनुबंध शून्य है। उपरोक्त के अलावा कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है कि वाद क्यों नहीं चलाया जा सकता। प्रतिवादीगण के उक्त तर्क

में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। नकद प्रोत्साहन का दावा दिनांक 10.10.2007 के पत्र में निहित लिखित अनुबंध की शर्तों पर आधारित नहीं है। उक्त अनुबंध किसी भी तरह से वादी के नकद प्रोत्साहन के दावे से प्रभावित नहीं है। तदनुसार मैं मानता हूं कि वाद चलाया जा सकता है।

19. अब मैं मुद्दे सं. 2 और 4 पर एक साथ चर्चा करूंगा, जो इस प्रकार हैं:-

"(ii) क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी की सेवाओं की समाप्ति अमान्य थी और यदि हां, तो किस प्रभाव से? ओपीडी

(iv) क्या वादी एक घोषणा के लिए हकदार है जैसा कि प्रार्थना की गई है और दावा किए गए अनुसार पूर्ण बैंक मजदूरी के साथ बहाली की परिणामी राहत है? ओपीपी"

20. उपरोक्त तथ्य यह हैं कि वादी को जारी किए गए दिनांक 10.10.2007 के नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार, दोनों पक्षों से तीन महीने का नोटिस देने पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। नियुक्ति पत्र का प्रासंगिक खंड इस प्रकार है: -

“नोटिस अवधि: किसी भी पक्ष से तीन (3) महीने का नोटिस।”

21. वादी के अनुसार, उसे दिनांक 02.01.2009 को मौखिक रूप से सेवा छोड़ने के लिए कहा गया था। उसी दिन उसे अचानक कार और लैपटॉप के इस्तेमाल से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादीगण ने अपने लिखित बयानों में दावा किया है कि वादी को दिनांक 01.10.2008 को तीन महीने की समाप्ति

का मौखिक नोटिस दिया गया था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि वादी को समाप्ति का कोई मौखिक नोटिस दिया गया था। प्रतिवादी कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए हैं क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 और 3 के गवाहों से प्रति परीक्षा किए जाने से पहले ही प्रतिवादी का साक्ष्य पेश करने का अधिकार समाप्त हो गया था।

22. तदनुसार, वादी का कथन स्वीकार किया जाता है, अर्थात्, उसे दिनांक 02.01.2009 को मौखिक संचार पर अचानक सेवा छोड़ने के लिए कहा गया था। नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार तीन महीने का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तदनुसार, वादी की सेवाओं की समाप्ति अवैध है क्योंकि यह उसके रोजगार अनुबंध की शर्तों के विपरीत है।

23. मुद्दा यह है कि प्रतिवादीगण की उक्त कार्रवाई का क्या प्रभाव होगा। वादी ने पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली की परिणामी राहत मांगी है।

24. मेरे विचार में, वादी द्वारा मांगी गई उक्त राहत विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14 को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जा सकती है, जिसमें प्रावधान है कि जहां कोई अनुबंध अपनी प्रकृति में निर्धारणीय है या ऐसा अनुबंध जिसके निष्पादन में निरंतर कर्तव्य का निष्पादन शामिल है, जिसकी निगरानी न्यायालय नहीं कर सकता, ऐसे अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान अनुबंध में समाप्ति खंड का प्रावधान है, जिसका

अर्थ है कि यह निर्धारणीय है। इसलिए, इस आधार पर ही वर्तमान अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त संदर्भ में **भारतीय स्टेट बैंक बनाम एस एन गोयल, एआईआर 2008 एससी 2594** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसके पैरा 11 में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था:-

"11. जहाँ स्वामी और सेवक का सम्बन्ध पूर्णतः संविदात्मक है, वहाँ यह अच्छी तरह स्थापित है कि व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 में निहित निषेध को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट रूप से लागू करने योग्य नहीं है। यहाँ तक कि यदि रोजगार के अनुबंध की समाप्ति (बर्खास्तगी या अन्यथा) अवैध या उल्लंघनकारी पाई जाती है, तो कर्मचारी का उपाय केवल क्षतिपूर्ति माँगना है, विशिष्ट प्रदर्शन नहीं। न्यायालय न तो ऐसी समाप्ति को अमान्य घोषित करेंगे, न ही यह घोषित करेंगे कि रोजगार का अनुबंध अस्तित्व में है, न ही बहाली की परिणामी राहत प्रदान करेंगे।"

तदनुसार यह माना जाता है कि वादी दावे के अनुसार पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली की किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

25. अब मुद्दा यह है कि क्या वादी नुकसान का हकदार है जो मुद्दा सं. 3 द्वारा कवर किया गया है जो इस प्रकार है: -

"(iii) क्या वादी हर्जाने का हकदार है और यदि हां, तो कितनी राशि है? ओपीपी"

26. हर्जाने के दावे को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी द्वारा मांगे गए मौद्रिक मुआवजे के दो घटक हैं, एक रोजगार अनुबंध की अनुसूची-1 के अनुसार लंबित बकाया राशि है और दूसरा प्रतिवादीगण से हर्जाने के रूप में दावा की गई 25 लाख रुपये की राशि है। दुर्भाग्य से इस मुद्दे को ठीक से नहीं बताया गया है क्योंकि इसमें बकाया राशि का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, रोजगार अनुबंध के अनुसार वादी को देय राशि, यदि गलत तरीके से रोक ली गई है, तो हर्जाने के एक घटक के रूप में दावा किया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने इसके विपरीत तर्क नहीं दिया है।

27. मैं पहले अनुसूची-1 के तहत निर्धारित दावे पर विचार करूंगा। बकाया वेतन के भुगतान न किए जाने के कारण कुछ राशि का दावा किया गया है। इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार बकाया वेतन का भुगतान वादी को करने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। एक घटक जिसका निपटारा होना बाकी है, वह नकद प्रोत्साहन का दावा है, जिसके बारे में वादी के अनुसार प्रतिवादीगण ने मौखिक रूप से भुगतान करने पर सहमति जताई थी। वादी पहले छह महीनों के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति माह और उसके बाद 2 लाख रुपये प्रति माह नकद प्रोत्साहन का दावा कर रहा है। वादी के अनुसार, जैसा कि उसने दिनांक दिनांक 08.03.2010 को अपनी प्रति परीक्षा में कहा था, उसने नकद प्रोत्साहन के रूप में 10.75 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने का दावा किया है। वह पुष्टि करता है कि उसने अपने आयकर रिटर्न में इस प्रोत्साहन को नहीं दिखाया है।

28. मेरे विचार में दिनांक 10.10.2007 के पत्र में निहित रोजगार की शर्तों का अवलोकन करने से पता चलता है कि वादी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते व्यापक रूप से बताए गए हैं। वेतन पैकेज के अलावा किसी भी प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं है जो निर्धारित है। वादी के स्पष्ट कथनों के आधार पर, यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि लिखित अनुबंध की शर्तों को किसी भी मौखिक संचार द्वारा बदला गया था। इसके अलावा, जैसा कि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने सही तर्क दिया है, यह अनुबंध आयकर से बचने का एक प्रयास है, अगर ऐसा कोई समझौता कभी किया गया तो संभवतः अनुबंध अधिनियम की धारा 24 के तहत आएगा। नकद प्रोत्साहन के लिए वादी का ऐसा दावा तदनुसार खारिज किया जाता है।

29. अनुसूची-1 के अनुसार अगला घटक कंपनी कार के रखरखाव, पेट्रोल खर्च, बकाया ड्राइवर का वेतन, भविष्य निधि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और चिकित्सा बीमा से संबंधित है। इस खाते पर दावा की गई कुल राशि 3,10,678 रुपये है।

30. दिनांक 10.10.2007 के रोजगार पत्र को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उक्त पत्र में कंपनी द्वारा रखरखाव की गई कार और ड्राइवर के साथ ईंधन का प्रावधान है। वादी के ईंधन की खपत पर कोई सीमा नहीं है। पत्र में वादी और उसके परिवार के लिए चिकित्सा व्यय/बीमा की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। प्रतिवादी सं. 1 को भविष्य निधि और ग्रेच्युटी भी प्रदान करनी होगी। इसलिए, कंपनी की कार के रखरखाव, पेट्रोल खर्च, अवैतनिक ड्राइवर का

वेतन, भविष्य निधि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और चिकित्सा बीमा से संबंधित वादी का दावा दिनांक 10.10.2007 के रोजगार पत्र की शर्तों के अंतर्गत आता है।

31. अब हम पक्षकारगण की दलीलों पर गौर कर सकते हैं। शिकायत में, उपरोक्त मुद्दे पर वादी ने निम्न प्रकार से दावा किया है:-

"5. अन्य नियमों और शर्तों के अलावा, वादी को टोयोटा कार सं. डीएल 4सी एई 9035 भी मुहैया कराई गई थी और हालांकि, जैसा कि सहमति हुई थी, वादी को प्रतिवादीगण द्वारा ड्राइवर मुहैया नहीं कराया गया और यहां तक कि ईंधन भी 200 लीटर प्रति माह की अधिकतम सीमा के साथ मुहैया कराया गया। जबकि वादी को अपनी जेब से अतिरिक्त 100 से 200 लीटर पेट्रोल और अपने ड्राइवर के वेतन के लिए 5500/- रुपये प्रति माह खर्च करना पड़ा।

6. इसके अलावा, वादी को होटल द्वारा चिकित्सा बिल और चिकित्सा बीमा की प्रतिपूर्ति का भी अधिकार था। यहां तक कि प्रतिवादी सं. 1 होटल द्वारा उक्त बिलों का कभी भी भुगतान नहीं किया गया, हालांकि वादी द्वारा समय-समय पर होटल को बिल दिए गए थे।

7. वादी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से भी बीमा करवाया हुआ है और वह 1512 रुपये प्रति माह का प्रीमियम दे रहा है। यहां तक कि बीमा की उक्त राशि भी प्रतिवादी सं. 1 होटल द्वारा वादी को नहीं दी गई, जबकि यह प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10.10.2007 को पत्र के माध्यम से सहमत नियमों और शर्तों का हिस्सा है।

8. यहां तक कि प्रतिवादी सं. 1 होटल द्वारा भविष्य निधि के वैधानिक लाभों की भी कटौती नहीं की गई और उनके योगदान के रूप में भुगतान नहीं किया गया और भविष्य निधि की स्थिति

के बारे में पूरी तरह से भ्रम है क्योंकि वादी को कभी भी सूचित नहीं किया गया कि क्या प्रतिवादी सं. 1 होटल वास्तव में कटौती कर रहा है। प्रोविडेंट फंड और इसके लिए अपनी ओर से योगदान भी कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार वादी को आज तक प्रतिवादीगण द्वारा उसके वैधानिक लाभ भी नहीं दिए गए हैं।”

32. प्रतिवादी सं. 1 और 3 ने वादी के उपरोक्त अनुच्छेदों पर अपने लिखित बयान में निम्नलिखित उत्तर दिया:-

"6. वाद-पत्र के पैरा 5 की सामग्री गलत है और इसका जोरदार तरीके से खंडन किया जाता है। वादी को इसके लिए सख्त साक्ष्य पेश करने चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी को टोयोटा कार सं. डीएल 4सी एई 9035 उपलब्ध कराई गई थी और ड्राइवर और ईंधन के लिए खर्च का दावा उसके द्वारा किया गया था और उसे नियमित रूप से प्रतिपूर्ति की गई थी।

7. वाद-पत्र के पैरा 6 और 7 की विषय-वस्तु गलत है और जानकारी के अभाव में इसका जोरदार खंडन किया जा रहा है। वादी को इसका कठोर प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

8. पैरा 8 की सामग्री रिकॉर्ड का विषय है और इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

33. उपरोक्त पैरा पर प्रतिवादी सं. 2 का लिखित बयान इस प्रकार है:

"6. वाद-पत्र के पैरा 5 की सामग्री गलत है और इसका जोरदार खंडन किया जाता है और वादी को इसके सख्त साक्ष्य पेश करने चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी को टोयोटा कार सं. डीएल 4सी एई 9035 उपलब्ध कराई गई थी और ड्राइवर और

ईंधन के लिए खर्च का दावा उसके द्वारा किया जा रहा था और उसे नियमित रूप से प्रतिपूर्ति की जा रही थी।

7. वाद-पत्र के पैरा 6 और 7 की सामग्री गलत है और जानकारी के अभाव में इसे सख्ती से नकारा गया है। वादी को इसका कठोर प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

8. पैरा 8 की विषय-वस्तु रिकार्ड में है और इस पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।"

34. मेरे विचार में प्रतिवादीगण की दलीलें वादी के उपरोक्त दावे को उचित ठहराती हैं। दलीलों के मुद्दे पर **गैंड वसंत रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम डीडीए और अन्य** के मामले में ले.पे.अ. सं. 775/2003 में इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 05.03.2014 को पैरा 30 और 32 में निम्नलिखित निर्णय दिया: -

"31. 21 नवंबर, 2011 को इस न्यायालय ने नि.प्र.अ. (मू.प.) 78/2011 पी. के. गुप्ता बनाम ईएसएस आर यूनिवर्सल (पी) लिमिटेड के मामले में निर्णय देते समय निम्नानुसार निर्णय दिया:-

11. हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि किसी दलील के उद्देश्य के लिए आवश्यक मौलिक सिद्धांत न्यायालय के समक्ष किसी पक्षकार के मामले को सत्य की गारंटी के साथ रखना है, ताकि पक्षकार को बाध्य किया जा सके और दूसरे पक्षकार को उस मामले के बारे में सूचित किया जा सके, जिसका उसे सामना करना है। इसका अर्थ है कि किसी विशेष कार्रवाई या बचाव के लिए आवश्यक तथ्यों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाना चाहिए और मांगी गई राहत की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। दलील पेश करने वाले पक्षकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी

महत्वपूर्ण तथ्य रखे और निष्पक्ष न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संदर्भ दे, ताकि न्यायालय मामले का सुविधाजनक ढंग से न्यायनिर्णयन कर सके। जब कोई दलील, विधिवत सत्यापित, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो स्पष्टवादिता का कर्तव्य अतिशयता के करीब होता है। इस संदर्भ में यह रेखांकित किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष झूठ के समान ही, किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चुप्पी से भी धोखा हो सकता है। सिविल वाद में सभी प्रासंगिक तथ्यों को रखना लुका-छिपी के खेल तक सीमित नहीं किया जा सकता। 2011 (6) एससीएलई 677 रामेश्वरी देवी बनाम निर्मला देवी के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दलीलें पक्षों के दावे का आधार हैं और जहां सिविल वाद काफी हद तक दस्तावेजों पर आधारित है, यह विचारण न्यायाधीश का बाध्यकारी कर्तव्य और दायित्व है कि वह पक्षकारगण द्वारा दायर दलीलों और दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच, परीक्षण और सत्यापन करे।

एक्सएक्सएक्स

32. 2012 (6) एससीसी 430 ए के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में शनमुगम बनाम अरिया क्षत्रिय राजकुल वामसथु मदालय नन्दवना परिपालनई संगम को निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

"27. दलीलों में इस हद तक पर्याप्त तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि इससे झूठे या अतिरंजित दावे या बचाव को आगे बढ़ाने की क्षमता कम हो जाए। दलीलों में विश्वास और विश्वसनीयता होनी चाहिए। यदि झूठे कथन, टालमटोल करने वाले खंडन या झूठे खंडन पेश किए जाते हैं, तो न्यायालय को

किसी मामले का निर्णय करते समय सावधानीपूर्वक इस पर गौर करना चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, उन्हें साफ हाथों से इसका दरवाजा खटखटाना चाहिए।

35. प्रतिवादीगण का उपरोक्त खंडन पूर्णतया अस्पष्ट है, अतः वादी के दावे को इसी आधार पर स्वीकार किया जा सकता है।

36. इसके अलावा, वादी ने अपने साक्ष्य (अभि.सा. 1) में शिकायत में की गई दलीलों को विधिवत दोहराया। प्रतिवादीगण द्वारा इस पर कोई जिरह नहीं की गई।

37. तदनुसार, मैं वादी के उपर्युक्त दावे को 3,10,678/- रुपये की राशि के लिए अनुमति देता हूँ।

38. मैंने पहले ही ऊपर यह निष्कर्ष दर्ज कर लिया है कि वादी की सेवाओं को समाप्त करना अवैध है क्योंकि वादी को दिनांक 10.10.2007 के पत्र में दिए गए तीन महीने के सेवा समाप्ति नोटिस नहीं दिए गए थे। तदनुसार, प्रतिवादीगण द्वारा की गई उक्त अवैधता के कारण वादी तीन महीने की उक्त अवधि के लिए वेतन का दावा करने का हकदार होगा। यह क्षति प्रतिवादी द्वारा रोजगार अनुबंध के उल्लंघन के प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम के रूप में उत्पन्न हुई। उक्त वेतन 6 लाख रुपये यानी 2 लाख रुपये प्रति माह होगा। तदनुसार, वादी 6 लाख रुपये की उक्त राशि का हकदार होगा।

39. उपरोक्त के अलावा, वादी ने भविष्य निधि और अप्रयुक्त अर्जित अवकाश पर ब्याज का भी दावा किया है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि वादी किस तरह से इसका हकदार है। इस आधार पर दावे खारिज किए जाते हैं।

40. 25 लाख रुपये के हर्जाने के दावे के संबंध में, कोई भी ठोस साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है जिसके आधार पर इस दावे पर निर्णय लिया जा सके। वैसे भी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, उल्लंघन की शिकायत करने वाले पक्ष को किसी भी दूरस्थ या अप्रत्यक्ष नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। तदनुसार 25 लाख रुपये का दावा खारिज किया जाता है।

41. तदनुसार वादी 9,10,678 रुपये की धनराशि वसूलने का हकदार होगा।

42. वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ एक डिक्री का दावा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं. 2 और 3 को प्रतिवादी सं. 1 के निदेशक या प्रमोटर होने के नाते प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है। वादपत्र में या अन्यथा कोई स्पष्ट कथन नहीं है कि प्रतिवादी सं. 2 और 3 प्रतिवादी सं. 1 के बकाये के लिए व्यक्तिगत रूप से कैसे उत्तरदायी होंगे, जो कि एक निजी सीमित कंपनी है। वादी का रोजगार अनुबंध प्रतिवादी सं. 1 के साथ है। यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि कंपनी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुसार कंपनी अपने दायित्व से सीमित होती है। इसके अलावा

जहां निदेशकों ने गारंटी, क्षतिपूर्ति आदि के माध्यम से खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया है, सामान्य कानून के तहत किसी कंपनी के निदेशक या अधिकारी का दायित्व केवल दुर्भावना और दुराचार के मामलों तक ही सीमित है। मौजूदा मामले में दुर्भावना और दुराचार का ऐसा कोई आरोप नहीं है। तदनुसार वादी का दावा केवल प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध ही सफल हो सकता है।

43. तदनुसार, वाद वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध 9,10,678/- रुपए की राशि के लिए निर्णय दिया जाता है। वादी वाद दायर करने की तिथि से वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने का भी हकदार है। वादी लागत पाने का भी हकदार होगा।

जयंत नाथ
(न्यायाधीश)

मई 29, 2014
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।